FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0251 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/09/2026 19:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 01/09/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/09/2026 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/09/2026 19:00:55 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-WEST, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** THEKA ANGREGI AVM DESHI SHARAB, AMARSAR,JAIPUR GRAMIN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANOHAR KUMAWAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHYAM LAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BHOJPURA, KHANDELA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BHOJPURA, KHANDELA, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAKESH KUMAR MEENA		पिता:RAJENDRA PRASAD MEENA	1. GOAN JEELO,MEENO KA MOHALLA,NEEMKATHANA,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA
2	RATANLAL AARYA		पिता:DHUMIRAM AARYA	1. CHURI POST BANETHI, KOTPUTALI,SARUND,कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 20.07.2026 को मन् अति. पुलिस अधीक्षक, भूपेन्द्र के पास एक व्यक्ति आया जिसने अपना नाम मनोहर कुमावत पुत्र श्री श्याम लाल कुमावत उम्र 37 वर्ष जाति कुमावत निवासी भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर होना बताते हुए अपने पास से एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम, जयपुर के नाम संबोधित पेश किया। जिसमें अंकित किया कि "मेरे विरूद्ध पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर (ग्रामीण) में श्रीमति सुमित्रा देवी W/O कैलाश चन्द कुम्हार ने मेरे खिलाफ बलात्कार, छेडछाड एवं धोखाधडी का झूठा परिवाद दर्ज करा रखा है जिसकी जांच श्री रतन जी आर्य (HC) के पास है जो मेरे को फोन करके थाना पर बयान लेने के बहाने बुलाता है और मुझसे कहता है कि मैं तेरे परिवाद को रफा-दफा करके तेरे प्रक्ष में सही रिपोर्ट बना दूंगा जिसकी ऐवज में तुम्हें 50,000 रू0 देने पडेगें श्री रतन जी आर्य (HC) मेरे परिवाद को रफा-दफा करने के 50,000 रू. रिश्वत के मांग रहा है। मैं श्री रतन जी आर्य (HC) को 50,000 रू0 रिश्वत के नहीं देना चाहता हूं और उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी रतन जी आर्य (HC) से कोई रंजिश व उधारी का लेन-देन नहीं है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत राशि मांग करवाया जाना आवश्यक होने पर श्री आशीष कुमार कानि. 208 को तलब कर परिवादी श्री मनोहर कुमावत का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी को डिजिटल वायस रिकॉर्डर को चालू व बन्द तथा वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि समझाई जाकर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड Consistent 32 GB को डालकर खाली होना सुनिश्चित किया जाकर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री आशीष कानि0 208 को परिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाने पर संदिग्ध आरोपी श्री रतन आर्य द्वारा परिवादी के खिलाफ थाने अमरसर में दर्ज बलात्कार, छेडछाड एवं धोखाधडी आदि के संबंध में दर्ज परिवाद को रफा-दफा करने तथा परिवाद में उसके पक्ष में रिपोर्ट बनाने की ऐवज में 50,000 रूपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा कम करने हेतु कहने पर 40,000 रूपये लेना तय होना पाया गया तथा परिवादी को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जानी वाली राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत की गई। उसके बाद दिनांक 22.07.2026 को संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी को थाने पर बुलाने पर आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत के संबंध में और भी वार्ता करने की संभावना होने पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने आशीष कानि0 को परिवादी के साथ अमरसर थाने के लिए रवाना करने पर संदिग्ध आरोपी द्वारा पूर्व में दिनांक 20.07.2026 को वक्त मांग सत्यापन रिश्वत राशि 40,000 रूपये लेना ही वार्ता से ताईद होना पाया गया। उसके बाद दिनांक 23.07.2026 को परिवादी मनोहर कुमावत द्वारा जरिये दूरभाष संदिग्ध आरोपी द्वारा कल थाने पर बुलाने तथा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में अवगत कराने पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 24.07.2026 को ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर दिनांक 24.07.2026 को पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री मयंक टांक वरिष्ठ सहायक व श्री हिमांशु मीणा कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग जयपुर से ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा पाबन्द शुदा परिवादी भी कार्यालय में उपस्थित आया। उसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी एवं कार्यालय स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया एंव दोनों स्वतंत्र गवाहान गोपनीय कार्यवाही में साथ रहने की सहमति प्राप्त की गई। उसके बाद परिवादी को संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वति राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 80 नोट कुल राशि 40,000 रूपये निकालकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को पेश करने पर उक्त नोटों का विवरण फर्द में अंकित किये जाकर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर समय करीब 10.30 एएम पर मन् अति0पुलिस अधीक्षक, मय स्टाफ मय स्वतंत्र गवाहान, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान जरिये सरकारी वाहनों मय चालकों के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से थाना अमरसर के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी को उसके निजी वाहन से बंशीधर कानि. 24 व आशीष कानि. 208 के साथ अमरसर थाने के आगे मिलने की हिदायत कर रवाना किया गया। उसके बाद मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम व सरकारी वाहनों के पुलिस थाना अमरसर जयपुर ग्रामीण के आगे अजीतगढ से रींगस की ओर जाने वाले रोड

के तिराहे के पास पहुंचा, जहां रोड के साईड में वाहनों को खडा किया गया, जहां पर परिवादी श्री मनोहर कुमावत भी श्री आशीष कानि. 208 व श्री बंशीधर कानि. 24 के साथ अपनी निजी वाहन से पहुंचे, आरोपी ड्यूटी में थाने से बाहर होने के कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं होने पर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय जयपुर आये। उसके बाद दिनांक 31.07.2026 को परिवादी व संदिग्ध आरोपी की वार्तानुसार ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया लेकिन दिनांक 31.07.2026 को भी संदिग्ध आरोपी आवश्यक कार्य में व्यस्त होने से परिवादी को रिश्वत राशि लेने हेतु बाद में बुलाने का कहने पर ट्रेप कार्यवाही नहीं हो पायी। उसके बाद दिनांक 31.08.2026 को श्री आशीष कानि. 208 ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री मनोहर कुमावत का फोन आने तथा संदिग्ध आरोपी रतनलाल आर्य हैड कानि. द्वारा थाने पर बुलाने का कहने पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से आशीष कानि. के मोबाईल से वार्ता करने पर परिवादी ने संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लेकर आने के लिए कहने पर परिवादी की बातों को सही मानतें हुये अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी को दिनांक 01.09.2026 को सुबह 9.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत दी गई।तत्पश्चात् दिनांक 01.09.2026 को पूर्व में पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री मयंक टांक कनिष्ठ सहायक व श्री मनीष राय सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय खनिज अभियंता, जयपुर एवं परिवादी श्री मनोहर कुमावत तथा स्टाफ उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाह श्री मनीष राय का परिवादी श्री मनोहर कुमावत से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा करवाई जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया गया तथा गोपनीय कार्यवाही में सम्मिलित होने बाबत सहमति प्राप्त की गई । उसके बाद पूर्व में मालखाने में दिनांक 31.07.2026 को लिफाफे में रखवाई गई रिश्वती राशि को मालखाने से श्रीमती संजू महिला कानि. से निकलवाकर मनीष राय स्वतंत्र गवाह को नोटो पर दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। उसके बाद परिवादी श्री मनोहर कुमावत की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब में लिफाफे से रिश्वती राशि बाहर निकलवाकर श्रीमती संजू महिला कानि. 220 से रखवाई जाकर मुनासिब हिदायत दी गई तथा वक्त रिश्वत लेन-देन से पूर्व मौके अनुसार वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द किया गया। उसके बाद समय करीब 10.05 एएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ट्रेप पार्टी सदस्य श्री मनोज कुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक, श्री रामजीलाल उप निरीक्षक, श्री राजकुमार हैड कानि. 79, श्री लालू सैनी कानि. 408, श्रीमती राजबाला म.कानि. 495 एवं श्री मनु शर्मा कानि. 111 मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एंव अन्य साजो सामान के सरकारी वाहनों मय चालकों के ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना अमरसर जयपुर ग्रामीण के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी के साथ बंशीधर कानि. 24 व श्री आशीष कानि. 208 को परिवादी के निजी वाहन से अमरसर थाने से पहले मिलने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया जाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस थाना अमरसर से पहले चौकी का बडिया चौराहा पर पहुंचकर वाहनों को रोड के साईड में खडा करवाया गया तथा परिवादी मनोहर कुमावत भी अपने वाहन से बंशीधर कानि. 24 व श्री आशीष कानि. 208 के पहुंचा। उसके बाद परिवादी को संदिग्ध आरोपी से वार्ता कर उसके पास जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत दी जाकर परिवादी के साथ श्री आशीष कानि. को रवाना किया, कुछ समय बाद आशीष कानि. ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि परिवादी ने संदिग्ध आरोपी के मोबाईल पर वार्ता होने पर संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी को चौकी का बडिया चौराहा पर मिलने हेतु कहने के पश्चात् संदिग्ध आरोपी चौकी का बडिया चौराहा अमरसर पर पुलिस थाने के वाहन से आकर रूका तो परिवादी संदिग्ध आरोपी के वाहन के पास पहुंचकर संदिग्ध आरोपी से वार्ता करने पर संदिग्ध आरोपी ने एक पर्ची जिस पर राकेश मीणा व उसके मोबाईल नम्बर लिखे हुये परिवादी को देते हुये, पर्ची में अंकित नम्बर पर वार्ता कर रिश्वति राशि राकेश मीणा को देने के लिए कहकर पुलिस थाने के वाहन से राडावास/सामोद रोड की ओर निकल गया। जिस पर परिवादी ने संदिग्ध आरोपी द्वारा दी गई पर्ची पर अंकित नम्बरों पर राकेश मीणा से वार्ता करवाने पर श्री राकेश मीणा द्वारा अमरसर शराब के ठेके पर बुलाने पर परिवादी व श्री आशीष कानि. 208 को बाद मुनासिब हिदायत शराब ठेके के लिए रवाना किया जाकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय जाप्ते के अमरसर थाने से पूर्व रोड किनारे शराब के ठेके पर परिवादी के वाहन के पीछे-पीछे मौके अनुसार रवाना होकर शराब ठेके के साईड में वाहन को खडा किया व परिवादी व कानि. आशीष परिवादी के वाहन से ठेके के आगे जाकर वाहन को खडा कर ठेके के अन्दर चले गये। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम के ठेके के आस-पास मुकीम रहकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगे। उसके बाद परिवादी श्री मनोहर कुमावत ने देशी व अंग्रेजी शराब अमरसर के ठेके के अन्दर से समय 01.22 पीएम पर रिश्वत लेन-देन का निर्धारित ईशारा किया जिस पर ठेके के आस-पास ही मैन रोड पर मौकेनुसार खडे मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के परिवादी श्री मनोहर कुमावत एवं कानि. आशीष कुमार नम्बर 208 के पास ठेके के अन्दर पहुंच कर परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि मैनें अभी-अभी रतनलाल हैड साहब के कहेनुसार रिश्वत राशि दी है जो इन्होनें मेरे से आशीष कानि. के सामने रिश्वत राशि प्राप्त कर दोनों हाथों से गिने हैं, जो इसके हाथ में ही हैं। जिसको मन् अति पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं ट्रेप टीम के सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उम्र 30 साल निवासी गांव जीलो, मीणों का मोहल्ला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर हाल

सैल्समैन, ठेका अंग्रेजी व देशी शराब, अमरसर के पास, अजीतगढ जयपुर रोड अमरसर, पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर ग्रामीण होना बताया। इसके बाद श्री राकेश मीणा से मनोहर कुमावत से 40,000 रूपये लेने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास कुछ देर पहले पुलिस थाना अमरसर के हैड साहब श्री रतनलाल जी का फोन आया व मुझे कहा कि मनोहर नाम का व्यक्ति तेरे पास अभी आयेगा, वो रूपये देगा आप रख लेना, मैं आपसे आकर ले लूगां। इसके कुछ देर बाद मेरे मोबाईल पर एक फोन आया व मुझे कहा कि रतनलाल जी हैड साहब ने आपको पैसे देने के लिए कहा है तो मैनें कहा कि रतनलाल जी का फोन आ गया है मेरे पास आप ठेके पर आ जाओ। इसके बाद आरोपी राकेश कुमार ने परिवादी मनोहर व आशीष कानि. की तरफ ईशारा कर बताया कि फोन आने के कुछ देर बाद ये दोनों मेरे पास ठेके पर आये व मनोहर ने मुझे 40 हजार रूपये दिये हैं जो मैने गिनकर अपने हाथ में ही रख रखे थे, इतने में ही आप लोग आ गये। इस पर रिश्वत राशि 40,000 रूपये जो राकेश मीणा के दाहिने हाथ में है को स्वतंत्र गवाह श्री मंयक टांक के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात् पास ही खडे परिवादी ने पूछने पर बताया कि कुछ देर पहले रतनलाल हैड साहब चौकी का बडिया चौराहे पर मुझे बुलाकर एक सफेद कागज की पर्ची पर मोबाईल नम्बर   राकेश मीणा लिखा हुआ देकर इस मोबाईल नम्बर पर बात कर रिश्वत राशि देने हेतु कहने पर मैंने उक्त मोबाइल नम्बर पर फोन किया तो मुझे राकेश मीणा ने अमरसर थाने के पास शराब के ठेके पर बुलाया, तब इनके कहेनुसार मैं व आशीष कानि. इनके पास ठेके पर आकर राकेश मीणा के पास रतनलाल हैड साहब का फोन आने तथा रूपये देने के बारे में पूछा तो इन्होनें रिश्वत राशि के 40,000 रूपये लेते हुये कहा कि कितने हैं, मैनें इनको 40,000 रूपये दिये, जो इन्होनें अपने दोनों हाथों से गिने थे और मैनें ठेके के अन्दर से आपको निर्धारित ईशारा कर दिया। इसके पश्चात् श्री राकेश मीणा से उसके मोबाईल नम्बर   से स्पीकर ऑन करवाकर श्री रतन लाल हैड कानि. के मोबाईल नम्बर   पर बात करवाई तो रतनलाल को राकेश मीणा ने कहा कि आपने जिसे भेजा है उसने 40 हजार रूपये दिये हैं वो कब लेओगें तो रतनलाल ने राकेश मीणा को अपने पास ही रखने तथा बाद में लेने के लिए कहा, उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद श्री मनोज कुमार शर्मा पुलिस निरीक्षक को मय जाप्ता के श्री रतनलाल हैड कानि. को डिटेन कर हमराह लाने हेतु रवाना किया गया। इसके बाद हमराही जाब्ता की मदद से श्री राकेश मीणा सैल्समैन के दोनों हाथों का धोवन लेने हेतु ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी राकेश कुमार मीणा के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से दूसरा साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी राकेश कुमार मीणा के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके पश्चात् आरोपी रतनलाल हैड कानि. द्वारा परिवादी मनोहर कुमावत को एक सफेद कागज की पर्ची जिस पर राकेश मीणा व मोबाईल नम्बर   लिखे हुये हैं को परिवादी के पेश करने पर कब्जा एसीबी ली गई। उक्त स्थान शराब का ठेका होने व लोगों का आवागमन होने व कार्यवाही किये जाने हेतु माकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु नजदीक ही पुलिस थाना अमरसर पर किये जाने का निर्णय लेकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय आरोपी राकेश कुमार मीणा मय टीम के जरिये वाहनों के रवाना होकर पुलिस थाना अमरसर पहुंचकर थानाधिकारी पुलिस थाना अमरसर को हालात से अवगत कराते हुये अग्रिम कार्यवाही थाने के स्वागत कक्ष में प्रारम्भ की गई। इसके पश्चात् आरोपी राकेश कुमार मीणा के पास से मिली 500-500 रूपये के नोटों को दोनों गवाहान से गिनवाया तो 500-500 रूपये के कुल 80 नोट 40,000 रूपये होना बताये। जिनका मिलान स्वंतत्र गवाहान से फर्द पेशकशी रिश्वती राशि मे अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो हुबहु वहीं नोट होना पाये गये। उक्त सभी नोटों को सफेद कागज की चिट के साथ सील मोहर कर चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके पश्चात् श्री मनोज कुमार पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता के डिटेन शुदा बावर्दी श्री रतनलाल हैड कानि0 को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के समक्ष राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राडावास अमरसर से जाप्ते की सहायता से हमराह लाकर पेश किया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने डिटेनशुदा बावर्दी व्यक्ति जिसकी नेम प्लेट पर रतनलाल लिखा हुआ है को अपना व ट्रेप टीम का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रतनलाल आर्य पुत्र श्री धुमीराम आर्य, उम्र 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम चूरी, पोस्ट बनेठी, तहसील कोटपूतली पुलिस थाना सरूंड जिला कोटपूतली बहरोड हाल हैड कानि. नम्बर 520 पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर ग्रामीण होना बताया। श्री रतनलाल हैड कानि. से आरोपी राकेश कुमार मीणा सैल्समैन शराब का ठेका को परिवादी

मनोहर कुमावत से दिलवाये गये 40,000 रूपये के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मेरे पास मनोहर कुमावत निवासी भोजपुर जिला सीकर के विरूद्ध पुलिस थाना अमरसर पर करीब एक महिने पहले जमीन खरीद फरोख्त एवं महिला सुमित्रा देवी व उसकी बेटी कोमल से छेडछाड करने के संबंध में परिवाद दर्ज हुआ था, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही थी, मेरे द्वारा श्री मनोहर कुमावत के विरूद्ध थाने में दर्ज परिवाद की जांच के संबंध में मैनें मनोहर कुमावत को दो-तीन बार थाने में बुलाया था, मनोहर कुमावत के रिक्वेस्ट करने व जांच कर रिपोर्ट उसके पक्ष में देने की ऐवज में 40,000 रूपये देना तय हुये थे। मनोहर कुमावत को मैनें रूपये लेकर एक दो बार पहले भी बुलाया था, परन्तु मैं ड्यूटी में व्यस्त होने से रूपये नहीं ले पाया। मेरी मनोहर से कल मोबाईल पर हुई वार्ता के अनुसार आज मनोहर करीब 1.00 पीएम पर मेरे बताये हुये स्थान चौकी का बडिया चौराहे पर मिला, तो मैने एक सफेद कागज की पर्ची पर राकेश मीणा व उसके मोबाईल नम्बर लिखकर दिये थे तथा राकेश मीणा से वार्ता कर उसको रूपये देने के लिए कहा था तथा राकेश मीणा को मैनें फोन कर मनोहर नाम के व्यक्ति से रूपये लेने के लिए कहा था। इस पर मौजूद राकेश कुमार मीणा से पूछा तो राकेश कुमार मीणा ने रतनलाल हैड कानि. के कथनों की ताईद की एवं उपस्थित परिवादी से पूछने पर उसके कहा कि मेरे खिलाफ थाने पर दर्ज परिवाद को रफा-दफा करने व मेरे पक्ष में रिपोर्ट बनाने हेतु रतनलाल हैड साहब द्वारा मुझे थाने पर बुलाकर 50 हजार रूपये की मांग की। जिस पर आज से करीब डेढ महिने पहले रिश्वत मांग सत्यापन के समय 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की, मेरे द्वारा कम करने हेतु कहने पर 40,000 रूपये लेने में सहमत हुआ। आज रतनलाल हैड साहब के कहेनुसार मैनें रिश्वत राशि के 40,000 रूपये शराब के ठेके पर जाकर राकेश कुमार मीणा को दिये हैं। तत्पश्चात् आरोपी श्री रतनलाल आर्य हैड कानि0 से परिवादी के विरूद्ध दर्ज परिवाद की पत्रावली के बारे में पूछा गया तो जांच कर दिनांक 19.08.2026 को थाने में एचएम कार्यालय में जमा करवा दी थी। जिस पर उक्त परिवाद की पत्रावली की सत्यप्रति थाने से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात् मन् टीएलओ द्वारा मेरे पास सुरक्षित रखे विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को ऑन कर सुना गया तो डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी एवं घटनास्थल पर श्री बंशीधर कानि0 24 से विभागीय विडियो कैमरे से विडियों रिकॉर्डिंग करवाई गई। उसके पश्चात आरोपी श्री रतनलाल हैड कानि. 520 व श्री राकेश कुमार मीणा को उनके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर आरोपी राकेश कुमार मीणा व परिवादी श्री मनोहर कुमावत के मध्य रिश्वत लेन-देन से पूर्व मोबाईल पर हुई वार्ता व वक्त रिश्वती लेन-देन हुई वार्ता के संबंध में तथा आरोपी श्री रतनलाल आर्य व परिवादी के मध्य वक्त रिश्वत मांग सत्यापन व वक्त रिश्वती लेन-देन हुई वार्ता के संबंध में अपनी-अपनी नमूना आवाज देने बाबत् पृथक-पृथक नोटिस दिये जाने पर दोनों आरोपीगण ने अपनी-अपनी नमूना आवाज देने से इंकार किया। उसके बाद आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उम्र 30 साल, जाति मीणा निवासी गांव जीलो, मीणों का मोहल्ला, तहसील नीमकाथाना, पुलिस थाना डाबला, जिला सीकर हाल सैल्समैन, ठेका अंग्रेजी व देशी शराब, अमरसर के पास, अजीतगढ जयपुर रोड, अमरसर पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर ग्रामीण व श्री रतनलाल आर्य पुत्र श्री धुमीराम आर्य, उम्र 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम चूरी, पोस्ट बनेठी, तहसील कोटपूतली पुलिस थाना सरूंड जिला कोटपूतली बहरोड हाल हैड कानि. नम्बर 520 पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर ग्रामीण उनके जुर्म से आगाह करवाकर पृथक-पृथक जरिये फर्द गिर0 किया गया। उसके बाद घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात दिनांक 02.09.2026 को पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी कार्यालय में उपस्थित आने के बाद उनके समक्ष परिवादी व आरोपी रतनलाल आर्य के मध्य हुई वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा परिवादी व आरोपी राकेश कुमार मीणा व रतनलाल आर्य हैड कानि0 के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार की गई तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी तथा रिश्वत मांग सत्यापन व वक्त लेन-देन की डीवीडीय़ां तैयार की गई तथा हैश वैल्यू निकाली गई। वार्तालाप से संबंधित मूल सोर्स एसडी कार्ड Consistent 32 GB को प्लास्टिक कवर मे रखकर अलग से माचिस की डिब्बी मे डालकर सफेद कपडे की थैली मे डालकर सिल्डमोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा विडियो रिकॉर्डिंग से सम्बन्धित मूल सोर्स एसडी कार्ड SanDisk 32GB को पृथक से प्लास्टिक कवर मे रखकर माचिस की डिब्बी मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क SD 1 अंकित कर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में धोवन की शिशियों, शील्डशुदा रिश्वती राशि आदि को सील मोहर करने में एसीबी जयपुर की पीतल की सील का प्रयोग किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से परिवादी श्री मनोहर कुमावत को पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर ग्रामीण में परिवादी के विरूद्ध दर्ज परिवाद को रफा-दफा करके परिवाद में उसके पक्ष में रिपोर्ट बनाने की ऐवज में श्री रतन लाल आर्य हैड कानि. 520 पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 20.07.2026, 22.07.2026 व 24.07.2026 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 50,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर 40,000 रूपये लेना तय होना तथा दिनांक 01.09.2026 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री राकेश कुमार मीणा द्वारा श्री रतन लाल हैड कानि. 520 पुलिस थाना अमरसर जयपुर ग्रामीण के लिए आपराधिक षड्यन्त्र रचकर परिवादी से 40,000 रुपये रिश्वत राशि उनके कहे अनुसार प्राप्त करना तथा आरोपी श्री रतन लाल हैड कानि. 520 पुलिस थाना अमरसर जयपुर ग्रामीण द्वारा श्री राकेश कुमार मीणा हाल सेल्समेन, ठेका अंग्रेजी व देशी शराब (प्राईवेट व्यक्ति

दलाल) अमरसर जयपुर ग्रामीण के माध्यम से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु परिवादी से 40,000 रुपये राकेश कुमार मीणा को दिलवाने का कृत्य अपने लोकसेवक के पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर आपराधिक षडयंत्र रचकर वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस में कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण 1.श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उम्र 30 साल, जाति मीणा निवासी गांव जीलो, मीणों का मोहल्ला, तहसील नीमकाथाना, पुलिस थाना डाबला, जिला सीकर हाल सैल्समैन, ठेका अंग्रेजी व देशी शराब, (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) अमरसर के पास, अजीतगढ जयपुर रोड, अमरसर पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर ग्रामीण 2. श्री रतनलाल आर्य पुत्र श्री धुमीराम आर्य, उम्र 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम चूरी, पोस्ट बनेठी, तहसील कोटपूतली पुलिस थाना सरूंड जिला कोटपूतली बहरोड हाल हैड कानि. नम्बर 520 पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। भवदीय,(भूपेन्द्र) अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-प्रथम, जयपुर।…………....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर पुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1.श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उम्र 30 साल, जाति मीणा निवासी गांव जीलो, मीणों का मोहल्ला, तहसील नीमकाथाना, पुलिस थाना डाबला, जिला सीकर हाल सैल्समैन, ठेका अंग्रेजी व देशी शराब, (प्राईवेट व्यक्ति दलाल) अमरसर के पास, अजीतगढ जयपुर रोड, अमरसर पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर ग्रामीण एवं 2. श्री रतनलाल आर्य पुत्र श्री धुमीराम आर्य, उम्र 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम चूरी, पोस्ट बनेठी, तहसील कोटपूतली पुलिस थाना सरूंड जिला कोटपूतली बहरोड हाल हैड कानि. नम्बर 520 पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ग्रामीण को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 57 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1450-53 दिनांक 04.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर 2- पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 4-अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Sunil Sihag **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/09/2026 19:02:20

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				
2	Male	1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)